एनएसटीएफडीसी की वर्ष 2012-13 की प्रमुख गतिविधियां/उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निगम ने न केवल संवितरण, मंजूरी एवं वसूली से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त किया बल्कि गत वर्ष के दौरान वास्तविक लक्ष्यों की अपेक्षा वास्तविक उपलब्धियां भी अधिक रहीं ।

2. **स्कोप एवार्ड:** स्टेन्डिंग कॉनफ्रेस ऑफ पब्लिक एंटरप्राईजेज (स्कोप) सार्वजनिक उपक्रमों का एक शीर्ष निकाय है । वर्ष 2011-12 के लिए स्कोप ने एनएसटीएफडीसी का चयन कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम के रूप में किया । यह चयन भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी.एन.भगवती की अध्यक्षता में जजों के एक पैनल द्वारा किया गया था । दिनांक 26.04.2013 को आयोजित समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा एनएसटीएफडीसी को एवार्ड दिया गया ।

3. **आदिवासी वनवासियों के लिए योजना :** एनएसटीएफडीसी द्वारा वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दिए गए भूमि अधिकार रखने वाले अनुसूचित जनजाति के वनवासियों के आर्थिक विकास के लिए एक नई योजना "आदिवासी वनवासी सशक्तिकरण योजना" तैयार की गई । यह योजना अनुसूचित जनजाति के वनवासियों को खेती करने योग्य बनाएगा अथवा उनके जीवनयापन के लिए भूमि पर आयजनित गतिविधियां उपलब्ध कराएगा । यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है तथा दिनांक 08.05.2013 को माननीय जनजातीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ भी किया जा चुका है ।

4. **ऑल इंडिया रेडियो के साथ रेडियो पार्टनरशिप:** एनएसटीएफडीसी एवं ऑल इंडिया रेडियो के बीच एनएसटीएफडीसी का रेडियो पार्टनर बनने के संबंध में दिनांक 08.05.2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है । इस व्यवस्था के अंतर्गत, ऑल इंडिया रेडियो अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एनएसटीएफडीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को कवर करेगा । यह प्रसारण संपूर्ण देश में स्थानीय भाषाओं /बोलियों में किया जाएगा । यह कवरेज इन हाउस/न्यूज-रील कार्यक्रमों के साथ रेडियो रिपोर्ट के रूप में होगा ।जैसाकि ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच संपूर्ण देश में है तथा लगभग संपूर्ण जनसंख्या को कवर कर रहा है, इस लिए यह पार्टनरशिप अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रमों के बारे में अधिक संख्या में जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक होगा ।

5. **आय सीमा में वृद्धि** : योजना आयोग,भारत सरकार के गरीबी रेखा अनुमान के आधार पर एनएसटीएफडीसी के लाभार्थियों के लिए दिनांक 04.07.2012 से वार्षिक दुगुनी गरीबी रेखा आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 39,500/- रुपए से 81,000/- रुपए वार्षिक एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 54,500/- रुपए से 1,04,000/- रुपए वार्षिक बढ़ा दिया गया है ।

6. **एक ब्लॉक् का अंगीकरण(एडोपशन)**: सुंदर पहाड़ी ब्लॉक,जिला गोडडा, झारखंड राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 208 गांव शामिल हैं । इस पिछड़े क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए एनएसटीएफडीसी ने इस ब्लॉक को अंगीकृत (एडोप्ट) किया है ।इस ब्लॉक के अनुसूचित जनजाति के पात्र लाभार्थियों को झारखंड ग्रामीण बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । सुंदर पहाड़ी ब्लॉक का अंगीकरण (एडोप्शन) इस क्षेत्र में जरूरतमंद अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में एक अद्वितीय प्रयास है । वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एनएसटीएफडीसी इसी प्रकार आर्थिक उत्थान के लिए एक अन्य ब्लॉक को अंगीकृत (एडोप्ट) करेगा ।

7. मंजूरियां: निगम ने अपने 203.43 करोड़ रूपए के अंश सहित 330.92 करोड़ रूपए की योजनाएं मंजूर की । जो 175 करोड़ रूपए के आंतरिक लक्ष्य की तुलना में 16% अधिक है । निगम ने प्रारंभ से लेकर पहली बार मंजूरी के 200 करोड़ रूपए के आंकड़े को पार किया है ।

8. **वर्ष के दौरान व्यापक विस्तार के लिए की गई पहल :**

सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता: अनूसूचित जनजाति के अधिकाधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के अतिरिक्त कुछ सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । इस दिशा में भारतीय स्टेट बैंक , शारदा ग्रामीण बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक के साथ नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों को एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता लेने के लिए 30000 से अधिक बैंकों की शाखाएं खुले हैं । इसके अलावा, वनांचल ग्रामीण बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक के साथ रि-फाइनांस एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं ।

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन

(जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम)

15,**एनबीसीसी टावर, भीकामी कामा प्लेस,नई दिल्ली–**110066

आदिवासी वनवासी सशक्तिकरण योजना

- **उद्देश्य:–** भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 बनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों को रहने और/अथवा स्व-खेती अथवा आजीविका उत्पन्न करने के लिए कोई अन्य परंपरागत गतिविधि हेतु वन भूमि धारित करने के अधिकार दिए गए हैं। आदिवासी वनवासी सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य भूमि को उत्पादकारी सुसाध्य बनाने के लिए अनुसूचित जनजाति के वनवासियों में जागरूकता उत्पन्न करना, प्रशिक्षण देना, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देना, मार्केट लिंकेज बनाने में सहायता देना इत्यादि हैं ।

- **पात्रता मानदंड:**
  - अनूसूचित जनजाति का व्यक्ति, जिन्होंने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भूमि अधिकार प्राप्त किया हो ।
  - आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा सीमा से दुगुनी (डीपीएल) से अधिक न हो । वर्तमान में यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 81,000/-रुपए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1,04,000/-रुपए वार्षिक है ।

- **सहायता की प्रमात्रा:–**योजना की इकाई लागत 1 लाख रुपए तक हो सकती है। 90% तक की सहायता राशि एनएसटीएफडीसी से रियायती ऋण के रूप में तथा शेष राशि प्रवर्तक अंशदान/मार्जिन मनी/ सब्सिडी के रूप में दी जा सकती है ।
- **हेंडहोल्डिंग समर्थन/प्रशिक्षण:** एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता लेने वाले वन अधिकार धारक हेंडहोल्डिंग समर्थन तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण लेने के पात्र होंगे ।

- **ब्याज दर:** लाभार्थी से 6% प्रति वर्ष प्रभार्य होगा ।

- **पुनर्भुगतान अवधि:–** ऋण का पुनर्भुगतान अधिकतम 05वर्षों की अवधि के भीतर तिमाही किश्तों के आधार पर किया जाना है जिसमें 06 महीने की अवधि का विलम्बन अवधि (मोराटोरियम पीरियड) शामिल है ।
- **संकेतात्मक गतिविधियां**

❖ लघु सिंचाई	❖ कृमि खाद	❖ रेशम कीट पालन
❖ उच्च पैदावार वाले बीज	❖ औषधीय/सजावटी पौधे	❖ पुष्प उत्पादन
❖ बागवानी	❖ मुर्गी पालन	❖ भेड़/बकरी पालन
❖ रबड़ पौधरोपण	❖ सुअर पालन	❖ फलों के बगीचे
❖ सुपारी की खेती	❖ डेयरी	❖ लघु वन उत्पाद आदि

टिप्पणी: उपरोक्त केवल संकेतात्मक सूची है तथा आवेदक कोई अन्य व्यावहारिक आयजनित गतिविधि भी चला सकते हैं ।

- **अनुसूचित जनजातियों द्वारा वित्तीय सहायता लेने की प्रक्रिया**
  - अनूसूचित जनजाति के पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं । (राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों का विवरण एनएसटीएफडीसी के वेबसाईट www.nstfdc.nic.in पर उपलब्ध है)
  - आवेदक संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी जनजाति एवं आय प्रमाण-पत्रों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वन अधिकार की एक प्रतिलिपि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को प्रस्तुत करेंगे ।
  - आवेदक यह वचन-पत्र राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को प्रस्तुत करेंगे कि प्रस्तावित गतिविधि के लिए उन्होंने किसी अन्य स्रोत से ऋण नहीं लिया है ।

एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं

आय जनित गतिविधियों के अंतर्गत

मियादी ऋण

- इकाई लागत 10 लाख रुपए तक ।
- एनएसटीएफडीसी से ऋण का 90% तक तथा शेष राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से प्रवर्तक अंशदान/ मार्जिन मनी/ सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से ।
- एनएसटीएफडीसी के भाग पर ब्याज दर ।
  - 5.00 लाख रुपए प्रति इकाई तक के लिए 6% वार्षिक की दर से
  - 5.00 लाख रुपए प्रति इकाई से अधिक के लिए 8% वार्षिक की दर से ।

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (आ.म.स.यो.)

- अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष रियायती योजना
- 50,000/- रुपए तक इकाई लागत ।
- एनएसटीएफडीसी की ओर से ऋण का 90% एवं शेष रा.चै.ए. से मार्जिन मनी/सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से ।
- प्रर्वतक अंशदान के लिए आग्रह नहीं किया जाता है ।
- लाभार्थियों हेतु ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष ।

लघु ऋण योजना

- स्व सहा.समूहों के सदस्यों की छोटी-छोटी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रियायती योजना ।
- प्रति स्व सहायता समूह अधिकतम 5.00 लाख रूपए का ऋण बशर्ते कि प्रति सदस्य 35000/-रुपए से अधिक न हो ।
- स्व.सहायता समूहों के लिए ब्याज 6% वार्षिक ।
- पूर्व ऋण के पुनर्भुगतान के बाद बारम्बारी ऋण अनुमत्य है ।

आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआईवाई)

- भारत में पीएचडी सहित व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठयक्रमों हेतु रियायती ऋण ।
- संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि हेतु व्यय का 90% तक बशर्तें कि अधिकतम ऋण राशि 5 लाख रूपए की हो ।
- लाभार्थी से 6% वार्षिक की दर से ब्याज प्रभार्य होगा ।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी अध्ययन संपूर्ण होने पर आय जनित गतिविधि चलाने हेतु रियायती वित्तीय सहायता लेने हेतु प्रावधान ।

ट्राईफेड के साथ समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कारीगरों हेतु योजना

- ट्राईफेड के पेनल में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के कारीगरों हेतु ऋण।
- प्रत्येक लाभार्थी के लिए 50,000/-रुपए तक एवं स्व सहायता समूहों के लिए 5.00 लाख रुपए तक का ऋण ।
- अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 4% की दर से तथा अनुसूचित जनजाति के पुरूषों के लिए 6% वार्षिक की दर से ब्याज ।
- ट्राईफेड विपणन गतिविधियों तथा लाभार्थियों से की गई खरीददारी की सीमा तक ऋण की वसूली में सहायता करेगा ।

एनएसटीएफडीसी की विपणन समर्थन सहायता

- अनुसूचित जनजातियों द्वारा एकत्रित/ उगाए गए लघु वन उत्पाद/ कृषि उत्पाद के प्रापण और/अथवा विपणन तथा संबंधित उत्पादों/ सेवाओं के लिए केन्द्रीय/ राज्य सरकारी एजेंसियों की कार्यपूंजी आवश्यकता को वहन करने हेतु विपणन समर्थन सहायता दी जाती है ।
- **ब्याज दरें–** सीधे तौर पर गतिविधियां चलाने वाली संस्थागत वित्त/ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए 7% वार्षिक की दर से तथा प्रति पात्र अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के लिए 2.00 लाख रुपए तक का ऋण 6% वार्षिक की दर से ।

कौशल एवं उद्यमीय विकास कार्यक्रमों हेतु अनुदान

स्व-रोजगार / रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए सरकारी / अर्ध सरकारी / सरकारी स्वायत निकायों इत्यादि के माध्यम से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ।

अधिक जानकारी के लिए , कृपया संपर्क करें–

- उपर लिखित सभी योजनाएं संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से चल रही हैं ।राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के पते एवं संपर्क विवरण www.nstfdc.nic.in पर उपलब्ध है ।
- इसके अतिरिक्त मियादी ऋण, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना एवं लघु ऋण योजना हेतु वित्तीय सहायता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,वनांचल ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक में भी उपलब्ध है ।

लघु ऋण योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूहों को निम्नलिखित बैंक ऋण प्रदान करते हैं:

- भारतीय स्टेट बैंक,सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं विजया बैंक की सभी शाखाएं ।
- आसाम ग्रामीण विकास बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, देना गुजरात ग्रामीण बैंक, बैतरणी ग्राम्य बैंक (ओडिशा), झारखंड ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक की सभी शाखाएं ।

एनएसटीएफडीसी प्रधान कार्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों का संपर्क विवरण

एनएसटीएफडीसी, प्रधान कार्यालय-011-26712539,26177046,26177042	
आंचलिक कार्यालय,गुवाहाटी-0361-2229624	आंचलिक कार्यालय, हैदराबाद-040-23396088
आंचलिक कार्यालय,भोपाल-0755-2660456	आंचलिक कार्यालच,भुवनेश्वर-0674-2342132

मत्स्य स्वप्न

सुखाभासः प्राकृतिक संसाधनों में निवेश अद्‌भुत

मेघालय का शाब्दिक अर्थ है मेघ + आलय अर्थात बादलों का निवास स्थान । यहां पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां वार्षिक वर्षा करीब 1200 से.मी. से अधिक तक होती है तथा उन्हें धरती का सर्वाधिक आर्द्र (भाग) स्थान माना जाता है । ऐसे वृष्टिपात युक्त परिवेश में मत्स्य पालन यहां एक प्रमुख साधन बना । जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु निवेश की जबरदस्त संभावना है । मत्स्य उत्पादन इकाइयों को धन अर्जन का ठोस कारण मानते हुए मत्स्य विभाग, मेघालय सरकार द्वारा वर्ष 2006 में " मत्स्य उत्पादन विकास 1000 तालाब निर्माण योजना " के नाम से एक प्रमुख योजना की शुरूआत की गई । जिसके अंतर्गत लागत का 25% धनराशि ऋण तथा शेष 75% अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । एनएसटीएफडीसी की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी मेघालय कोओपरेटिव एपेक्स बैंक राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना का कार्यान्वयन करती है। अल्पावधि के भीतर एनएसटीएफडीसी ने 1000 से अधिक मत्स्य उत्पादन इकाइयों को कवर किया । इस योजना का उद्देश्य राज्य में न केवल मत्स्य मांग तथा उसकी आपूर्ति के बीच की खाई को कम करना है बल्कि राज्य में निर्धनता, बेरोजगारी, अल्प -रोजगार की समस्याओं को हल करना भी है । राज्य में 10,000 मीट्रिक टन मत्स्य की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए आंध्र प्रदेश , पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश से इसे आयात किया जाता है । योजना का मुख्य उद्देश्य मेघालय को मत्स्य आयातक राज्य से मत्स्य निर्यातक राज्य बनाना है । यह तभी संभव है जब एक लक्ष्य पर केन्द्रित होकर इस क्षेत्र में चरणबद्ध प्रणाली से निवेश किया जाए । क्षेत्रों के विस्तार के अतिरिक्त लक्ष्य के अन्य प्रमुख घटकों में - जमीनी दलदल को ठीक करना, झील तथा अन्य जलीय स्त्रोतों, निजी क्षेत्रों द्वारा मत्स्य प्रजातियों का उत्पादन, खूबसूरत मछलियों की नस्ल तैयार करना, मछली के चारे हेतु निजी चारा मिलों की स्थापना, कार्मिकों एवं मत्स्य पालकों की क्षमता का विकास, आंकड़ों का संग्रह तथा मत्स्य उत्पादन के उपरांत आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना आदि शामिल है ।

मेघालय राज्य की आर्थिक व्यवस्था में समस्त लाभ के अतिरिक्त इस योजना से एक हजार से अधिक आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है । इसके लाभार्थी मुख्य रूप से लघु स्तरीय किसान थे तथा दिन-प्रतिदिन मछली खपत की बढ़ती मांग को देखते हुए वह अच्छा लाभ कमा रहे हैं ।

ज्यादातर मामलों में लाभार्थियों की पूर्व आय 40,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हो गई है तथा लगभग शत प्रतिशत लाभार्थी पूरी तरह से पुनर्भुगतान में नियमित है । मुख्य आजीविका के साधन के रूप में इन तालाबों के निर्माण से राज्य के ग्रामीण इलाके प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर रहने के लिए अधिक आकर्षक हो गए हैं । इस योजना को अपनाने वाले परिवारों का दूसरे राज्य में पलायन काफी हद तक कम हुआ है । यह भी देखा गया है कि इस योजना के लाभार्थियों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इन एक हजार तालाबों के निर्माण से अनेक हजारों आदिवासियों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी है ।

बेहतर के लिए वरदान

जनसंख्या में वृद्धि होने से कृषि पर आश्रित रहकर गुजर बसर करने वाला आदिवासी समुदाय और भी हाशिए पर चला गया है । गरीबी से अर्थपूर्ण ढंग से लड़ने के लिए आवश्यक है कि तेजी से कृषि विकास तथा भू एवं जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया जाए । गंगा कल्याण योजना एक ऐसा ही हस्तक्षेप है ।

एनएसटीएफडीसी द्वारा रियायती दर पर उपलब्ध कराए गए वित्तीय सहयोग से कर्नाटक जनजातीय विकास कारपोरेशन लिमिटेड **गंगा कल्याण योजना** के नाम से कर्नाटक राज्य में लघु एवं अत्यंत सीमित जनजातीय जरूरत मंद किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक प्रमुख योजना कार्यान्वित कर रहा है । इस योजना में बोरबेल खोदना, पंप सेट लगाना एवं उपकरण व ऊर्जा व्यवस्था आदि की संपूर्ण सुविधाएं शामिल है ।

किसी योजना की सफलता उसके लिए उचित ढांचागत उपलब्ध निधि युक्त कार्यक्रम तथा उसके कार्यान्वयन मशीनरी पर निर्भर करती है । इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों के लिए पृथ्वी के अंदर पानी का पता लगाने के लिए भू-जल सर्वेक्षण से लेकर बोरवेल की खुदाई, पंप सेट लगाना, खेतों तक बिजली लाने की व्यवस्था के लिए पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराया जाता है । " पानी नहीं तो पैसा नहीं " जैसे कड़े मानक अपनाए जाते हैं । गुणवत्ता जांच में बोरवेल खुदाई की गहराई, धसांई गई पाइप की गुणवत्ता एवं लम्बाई इत्यादि की जांच की जाती है ।

इस कार्यक्रम हेतु निधि में कर्नाटक सरकार द्वारा 78% सब्सिडी तथा शेष 22% एनएसटीएफडीसी द्वारा रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है । जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिए गए जनजातीय उप योजना निधि के अंतर्गत स्वीकृत फंड का उपयोग करते हुए राज्य सरकार, पावर सप्लाई कंपनियों को क्रियाशील बनाने हेतु अतिरिक्त भुगतान करती है । यह योजना जून 2003 में आरंभ की गई है तथा तब से इस पर कुल 255/- करोड़ रुपए व्यय हुआ है जिसमें एनएसटीएफडीसी का अंशदान 60 करोड़ रूपए है । यह योजना अभी तक 22900 लाभार्थियों के लिए स्वीकृत की गई है । जो कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए संचयी स्वीकृत फंड का 60% से अधिक हिस्सा है । इस योजना से उपलब्ध सिंचाई सुविधा से अब किसान दो या दो से अधिक फसल उगाने योग्य हो गए हैं । जिसमें अनाज, जुन्हरी, ज्वार, केला, नारियल, हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, कपास, धान, गन्ना, आम, काफी, मिर्च तथा अन्य मौसमी सब्जियां शामिल हैं ।

इन उत्पादों का विपणन आमतौर पर कृषि विपणन समितियों के माध्यम से किया जाता है।

इन क्षेत्रों का दौरा करने पर ज्ञात होता है कि इस योजना की सहायता से लाभान्वित लोगों के आर्थिक स्तर के साथ-साथ सामाजिक स्तर में भी सुधार हुआ है । जिससे इनकी आजीविका बेहतर हुई है , बच्चे स्कूल जा रहे हैं तथा उन्हें पोषक आहार भी उपलब्ध हो रहा है । यहां तक कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई का साधन उपलब्ध हो पाया है, वहां भूमिहीन किसान भी काम में हाथ बंटाकर रोजगार पा रहे हैं ।

महामारी–एचआईएनआई

सुन-सुन रे नौजवान
सुन-सुन रे हिन्दुस्तान
तुम होना ना परेशान

यह बात सही है
सोलहा आने सही है
इससे देश ही नहीं, ब्रह्मांड हिले हैं

इसने मचायी है तबाही,
जानते हो, किसने यह फैलाई
यह और कोई नहीं,
जी हाँ अदना सा है मच्छर

इससे हर कोई है भयभीत
जब मिलता है कोई मीत
गले तो क्या? हाथ मिलाने से डर रहे हैं
और तो और मास्क पहने, मुंह छिपाते फिर रहे हैं

गब्बर सिंह भी प्राचीन, आतंकवाद भी प्राचीन,
यह तो बिल्कुल है नवीन, एक खतरनाक प्रोटीन
कहते हैं इसको स्वाईन फ्लू , ए-एच-1,एन-1

लता बब्बर
निजी सचिव